# बिहार विधान-सभा वादवृत्त

( भाग 1—कार्यवाही प्रश्नोत्तर )

मंगलवार, तिथि 22 जुलाई, 1980 ई० ।

विषय-सूची


| | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर : | | |
| अल्पसूचित प्रश्नोत्तर संख्या 44,46,47,48 एवं 49 | ... | 1—11 |
| तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या 439,443,951,952,953, 954, 955, 956, 965, 985, 986, 1008, 1011 एवं 1027 । | | 12—38 |
| परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर) | ... | 39—55 |
| दैनिक निबंध | ... | 57-58 |


टिप्पणी—किन्हीं भी माननीय सदस्यों एवं मंत्रियों से उनके भाषणों के संशोधन प्राप्त नहीं हुए हैं ।

श्री राजकुमार महासेठ—अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने अपने जवाब में कहा है कि सरकार ने सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया है और वेतन निर्धारण समिति को रेफर कर दिया है, ऐसा क्यों ?

श्री रमेश झा—पे रीविजन कमिटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और इस पर सरकार विचार कर रही है।

श्री रामाश्रय राय—टास्क फोर्स का गठन कब किया गया है ?

श्री रमेश झा—16 जून 1980 को किया गया है।

श्री रामाश्रय राय—टास्क फोर्स बोर्ड को प्रतिवेदन देने के लिए कोई समय निर्धारित है ?

श्री रमेश झा—शीघ्र देने के लिए आदेश दिया गया है।

---

## स्वीकृत योजना का कार्यान्वयन।

49. श्री शिवनन्दन पासवान—क्या मंत्री, नागरिक विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मार्च, 1979 में नगर विकास विभाग ने पटना नगर निगम क्षेत्र में जलापूर्ति की 54 योजनाएं स्वीकृत करते हुए बीस लाख आठ सौ नवासी रुपये निगम को दिया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकारी आदेश के अनुसार उक्त राशि को पटना जल पर्षद् को हस्तांतरित कर देना था जिसके लिये तत्कालीन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने दिनांक 23 मई, 1979 को आदेश भी दिया था एवं तदनुसार चेक भी तैयार कर लिए गये थे ;

(3) क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम के महापौर ने उक्त हस्तान्तरण को रोक दिया तथा तत्कालीन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को हटाने की अनुशंसा की जिसके फलस्वरूप पूरी राशि का गबन हो गया और योजनाएं आजतक प्रारम्भ भी नहीं हुई ;

(4) क्या यह बात सही है कि पटना जल पर्षद् के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी ने क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी को सम्बोधित अपने पत्र संख्या 1325, दिनांक 9 जून, 1979 के माध्यम से पटना प्रमंडल आयुक्त को पूरी स्थिति से अवगत कराया था;

(5) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषी व्यक्तियों को दंडित करेगी एवं स्वीकृत योजनाओं को पूर्ण करायेगी, यदि हां, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

श्रीमती उमा पाण्डेय—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(3) महापौर द्वारा राशि के हस्तान्तरण में कोई रोक लगाये जाने की सूचना सरकार को नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि तत्कालीन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के स्थानान्तरण हो जाने के कारण चेक देने में विलम्ब हुआ। अबतक उस राशि से 10 लाख रुपया जल पर्षद् को हस्तान्तरण किया जा चुका है। शेष राशि भी जल पर्षद् को हस्तान्तरण करने हेतु सरकार निगम को निदेश देने जा रही है। उक्त राशि का गबन नहीं हुआ है। 54 योजनाओं में से सात योजना के कार्य समाप्त हो चुके हैं एवं सात योजनाओं के कार्य प्रगति में हैं।

(4) कार्यपालक पदाधिकारी, पटना जल पर्षद् ने अपने पत्र संख्या 1325, दिनांक 9 जून, 1979 द्वारा क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी को लिखा था परन्तु उक्त पत्र की प्रतिलिपि जल पर्षद् के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। जल पर्षद् द्वारा सूचना दी गयी है कि भूतपूर्व कार्यपालक पदाधिकारी श्री पी० के० सिन्हा ने स्वंय कार्यालय प्रति अपने पास रखा था।

(5) 54 योजनाओं में से 7 योजनाओं का कार्य पूरा किया जा चुका है तथा 7 अन्य योजनाओं का कार्य प्रगति में है। सी० आई० पाईप के अभाव में शेष कार्य रुके हुए हैं। आवश्यक पाईप क्रय करने के निमित्त जल पर्षद् की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है तथा पाईप की आपूर्त्ति के लिए आपूर्त्ति आदेश निर्गत किया जा रहा है। पाईप उपलब्ध होने पर शेष योजनाओं का कार्य यथा शीघ्र पूरा कर दिया जायेगा।

श्री शिवनन्दन पासवान—सरकार ने स्वीकार किया है कि तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी ने क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी के पास पत्र लिखा था तो मैं जानना चाहता हूँ कि उस पत्र पर वहाँ क्या कार्रवाई की गयी ?

श्री रमेश झा—सरकार के पास अभी तक वह पत्र प्राप्त नहीं हो सका है।

श्री शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव—उत्तर में कहा गया है कि 54 योजनाएँ हैं जिनमें 7 कार्यान्वित हो सकी हैं और 7 प्रगति में है तो मैं जानना चाहता हूँ कि शेष की पूर्ति करने में कितने समय लगेंगे ?

श्री रमेश झा—सरकार के सामने कई तरह की कठिनाइयाँ है। कभी सीमेंट का अभाव रहता है, कभी निधि का अभाव रहता है। सारी चीजों की उपलब्धता होने पर सारे कार्य हो जाएँगे। अभी 7 पूरे हो चुके हैं और 7 योजनाएँ प्रगति में हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव—मेरी निश्चित जानकारी है कि नगर निगम को सीमेंट का कभी अभाव नहीं हुआ ऐसी स्थिति में मैं जानना चाहता हूँ कि सारी योजनाओं को सरकार कबतक पूरा करने जा रही है ?

श्री रमेश झा—माननीय सदस्य ने जो कहा कि नगर निगम की सीमेंट का कभी अभाव नहीं हुआ इस सूचना को सरकार ग्रहण करती है और वह जाँच करेगी कि वस्तु स्थिति क्या है।

श्री मुंशी लाल राय—प्रश्नकर्त्ता श्री शिवनन्दन पासवान जी ने एक ही प्रश्न पूछा उसके बाद श्री शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव जो खड़े हो गये और उनको आपकी ओर से पुकार लिया गया और वे बोलते रहे इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रश्नकर्त्ता को कम-से-कम तीन प्रश्न और पूछ लेने दीजिए।

अध्यक्ष—आपके इन्टरप्रिटेशन से हम नहीं गवर्न होंगे न।

श्री मुंशी लाल राय—आपने जो पूर्व में आदेश दे रखा है उसको क्या आज बदल देंगे ?

अध्यक्ष—जब वे बैठ गये तो हमारे ध्यान में चला आया कि ये बैठ गये।

श्री मुंशीलाल राय—आपके हुकूम से वे बैठ जायं तो क्या अन्याय हुआ ?

अध्यक्ष—इसमें क्या लगता है ?

श्री मुंशीलाल राय—कम-से-कम तीन प्रश्न इनको पूछ लेने दीजिए।

अध्यक्ष—यह नहीं होगा ।

श्री महेन्द्र नारायण झा—यह स्पष्ट है कि जलापूर्ति योजना एक अहम् सवाल है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई तिथि, महीना या साल सुनिश्चित करेगी कि इतने दिनों के अन्दर यह काम हो जायेगा ?

श्री रमेश झा—तिथि, दिन या महीना सुनिश्चित करना असंभव है ।

श्री मुंशी लाल राय—सरकार ने 20 लाख रुपया जलापूर्ति योजना के लिये पटना नगर निगम को दिया था, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे पैसे उसी मद में अभी हैं या किसी दूसरे मद में ट्रान्सफर कर दिये गये ?

श्री रमेश झा—जैसा अभी राज्य मंत्री महोदया ने बताया, इस मद में 20 लाख रुपये दिये गये जिसमें दस लाख रुपया वाटर बोर्ड को हस्तान्तरित कर दिया गया और शेष रुपया भी वाटर बोर्ड को हस्तान्तरित कर दिया जाय, इसके लिये पटना नगर निगम को निदेश दे रही है ।

श्री मुंशी लाल राय—दस लाख रुपया किस मद में अभी तक रखा है और क्यों दूसरे मद में रखा गया ?

श्री रमेश झा—मैंने तो कहा बीस लाख रुपये पटना नगर निगम को दिये गये जिसमें से दस लाख रुपया उन्होंने वाटर बोर्ड को दे दिया, बाकी रुपया भी कॉरपोरेशन को दे देना चाहिए, निर्देश दे दिया गया है कि कुछ राशि भी निगम वाटर बोर्ड को दे दे ।

श्री कर्पूरी ठाकुर—मैं जानना चाहता हूं कि जो राशि कॉरपोरेशन के पास है, वह किस मद में जमा है ? उसका डायभर्सन हुआ या जिस काम के लिये दिया गया, उसी मद में वह सुरक्षित है ?

श्री रमेश झा—सरकार की ओर से अभी कहा गया कि सरकार को इसकी जानकारी नहीं है कि इसका डायभर्सन हुआ या नहीं, लेकिन सरकार को इतनी जानकारी है कि बीस लाख रुपये नगर निगम को दिये गये थे जिसमें से दस लाख रुपया उसने वाटर बोर्ड को कार्य की प्रगति देखकर दे दिया ।

अध्यक्ष—इन्होंने पूछा है कि बीस लाख रुपया सरकार की ओर से नगर निगम को जो दिया गया वह समय नगर निगम में इसी मद में जमा है या किसी दूसरे मद में उसका डायभर्सन किया गया ?

श्री रमेश झा—सरकार ने निगम को बीस लाख रुपया दिया जिसमें से निगम ने दस लाख रुपया वाटर बोर्ड को दे दिया। शेष राशि यह वाटर बोर्ड को काम की प्रगति के अनुसार दे दे, इसके लिये सरकार ने निदेश जारी कर दिया है।

श्री महेन्द्र नारायण झा—सरकार के जितने जवाब आये, वे सब अस्पष्ट हैं और माननीय सदस्यगण संतुष्ट नहीं हो रहे हैं जबकि जलापूर्त्ति की योजना सम्पूर्ण पटना की है जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि कबतक नगर निगम को इतनी राशि उपलब्ध हो जायगी कि सारी योजनायें पूरी हो जायं ?

(जवाब नहीं मिला)

श्री कर्पूरी ठाकुर—मैंने पूछा कि मार्च, 1979 में जब रुपये मंजूर हुए थे केवल जलापूर्त्ति के लिये तो कॉरपोरेशन के पास जो दस लाख रुपया जमा है, मंत्री महोदय के कहने के मुताबिक दे देना है, तो मैं जानना चाहता हूं कि कॉरपोरेशन में उसी मद में रुपया जमा है या किसी दूसरे मद में डायभर्सन हुआ ? मैं स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप स्पेसिफिक जवाब दीजिए।

श्री रमेश झा—आप स्वयं भी जानते हैं कि सरकार निगम को रुपया देती है और निगम महालेखाकार से प्राधिकार पत्र लेकर वाटर बोर्ड को देता है, तो इसके अनुसार दस लाख रुपया वाटर बोर्ड को दे दिया गया और दस लाख रुपया निगम में जमा है, सरकार देखेगी कि उसका डायभर्सन हुआ या जिस काम के लिये यह राशि दी गयी है, उसमें उसका उपयोग हो, इसके लिये रखा गया है।

श्री मुंशीलाल राय—यह मामला बहुत गंभीर हो गया है, इसलिये मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं। बार-बार प्रश्न पूछा जा रहा है, मैंने पूछा, प्रश्नकर्त्ता ने पूछा, विरोधी दल के नेता ने पूछा, श्रीवास्तव जी ने पूछा लेकिन सही उत्तर नहीं आ रहा है...

अध्यक्ष—तो क्या किया जाय ?

श्री कर्पूरी ठाकुर—आप हमलोगों से पूछते हैं कि क्या किया जाय ? हमको तो जवाब चाहिए, सारे सवालों का जवाब चाहिए।

श्री शिवनन्दन पासवान—सरकार जवाब नहीं दे रही है कि डायभर्सन हुआ कि नहीं।

श्री रमेश झा—सरकार को इसकी जानकारी नहीं है कि इसका डायभर्सन हुआ कि नहीं।

(सदन में शोरगुल)

श्री शिवनन्दन पासवान—जाली नाम पर भुगतान कर दिया गया है। इसमें एक करोड़ तीन लाख रुपया का गवन हुआ है। मैं निश्चित तौर से यह कहता हूं कि इसमें रुपया का डाइभर्सन हुआ है।

अध्यक्ष—माननीय मंत्री, ये बातें हैं। माननीय सदस्य शिवनन्दन पासवान कह रहे हैं, पूरक प्रश्न के रूप में नहीं, इनका कहना है कि मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि इसमें डाईभर्सन हुआ है।

श्री रमेश झा—अगर माननीय सदस्य कहते हैं कि उनको निश्चित जानकारी है कि डाइभर्सन हुआ है तो मैं इसकी निश्चित जानकारी सदन को या इनको दे दूंगा।

श्री कर्पूरी ठाकुर—अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री ने एक माननीय सदस्य के पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि तिथि, दिन और महीना निर्धारित करना सरकार के लिये संम्भव नहीं है। इस सदन में एक बार नहीं, अनेकों बार, माननीय राजो सिंह अभी यहां बैठे हुए हैं, इन लोगों ने प्रश्न पूछा था कि कब तक काम हो जायगा तो सरकार में रहते हुए हमलोगों ने उसका उत्तर दिया था कि अमुक तारीख तक पूरा हो जायगा। और इनके लिये महीना भी संभव नहीं है, साल भी संभव नहीं है। तो मैं अध्यक्ष महोदय, यह जानना चाहता हूं कि योजनाओं का काम कब तक पूरा हो जायगा?

श्री रमेश झा—एक योजना की बात नहीं है। 54 योजनायें हैं। कार्य प्रगति पर है और सरकार इस बात को देखेगी कि जल्द-से-जल्द ये योजनायें पूरी हो जायं।

———